THE REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT NO. 14 OF 1971)

[*[Authoritative English Text of the Rajistrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1970]

AN
ACT

to amend the Registration Act, 1908 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of a new section 18-A in Act XVI of 1908.

2. In the Registration Act, 1908 (hereinafter referred to as the principal Act), *after* section 18, the following section shall be *inserted*, namely:—

Documents for registration to be accompanied by a true copy thereof.

"18-A (1) The Registering Officer shall refuse to register any document presented to him for registration unless such document is accompanied by a true copy thereof, and in the case of a document referred to in section 19, also by a true copy of the translation referred to therein.

(2) A copy referred to in sub-section (1) shall not be a carbon copy, and shall be neatly handwritten, printed or typewriten, or be a cyclo-styled copy of type-written matter, on only one side of the paper, and shall be prepared in accordance with such rules, if any, as may be made in that behalf, and shall contain a declaration in the prescribed manner that the same is a true copy of the document or of the translation, as the case may be."

Amendment of section 52.

3. In section 52 of the principal Act, in sub-section (1) *after* clause (*c*), the following Explanation shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation*—Copying of the document in the said book includes the pasting of its copy in the book."

Amendment of section 62.

4. In section 62 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following Explanation shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation*—Transcribing the translation in the said register includes pasting of a copy of such translation in that register."

Amendment of section 69.

5. In section 69 of the principal Act, *after* clause (*h*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*hh*) regulating the manner in which copies and translations to be delivered under sections 18-A and 19 shall be prepared and in which they shall be declared to be true and faithful copies or translations ;

(*hhh*) providing for the grant of licences to document writers, the suspension or revocation of such licences, the terms and conditions subject to which and the authority by whom such licences shall be granted, suspended or revoked, and generally for all purposes connected with the drafting or writing by such document writers of documents to be presented for registration ;

(*hhhh*) regulating the manner of recopying the books kept under section 51 and the Indexes ;"

Amendment of section 82.

6. In section 82 of the principal Act, *for* clause (*b*) the following clause shall be *substituted*, namely—

"(*b*) intentionally delivers to a registering officer, in any proceeding under section 18-A, section 19 or section 21, a false copy or translation of a document or a false copy of a map or plan or makes a false declaration ; or."

---

*[For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated July 6, 1970].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 14, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 23, 1970.

(Received the Assent of the President on February 23, 1971, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 25, 1971).

PSUP—A. P. 64 Gen. (Leg)—1971. 1827+50 S.S. (M).

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 23 फरवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25 मई, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1908 का अधिनियम संख्या 16 में नयी धारा 18—क का बढ़ाया जाना

2—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों के साथ उनकी एक सही प्रति संलग्न की जायगी।

"18—क—(1) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किसी भी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करेगा जब तक कि ऐसे दस्तावेज की एक सही प्रति और धारा 19 में अभिदिष्ट कोई दस्तावेज होने की दशा में उसमें अभिदिष्ट अनुवाद की भी एक सही प्रति साथ न हो।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रति कारबन प्रति नहीं होगी, और कागज के केवल एक ओर स्वच्छ रूप से हस्तलिखित, मुद्रित या टंकित होगी, अथवा टंकित विषय की साइक्लोस्टाइल प्रति होगी और वह ऐसे नियमों के अनुसरण में, यदि कोई हो, तैयार की जायगी, जो तदर्थ बनाए जायं, और उसमें नियत रीति से ऐसी घोषणा निहित होगी कि उक्त प्रति, यथास्थिति, दस्तावेज या अनुवाद की सही प्रति है।"

धारा 52 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 52 म, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उक्त पुस्तक में दस्तावेज की नकल की जाने के अन्तर्गत उस पुस्तक में उसकी प्रति चिपकाना भी है।"

धारा 62 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उक्त रजिस्टर में अनुवाद के उतार लिए जाने के अन्तर्गत उस रजिस्टर में ऐसे अनुवाद की प्रति चिपकाना भी है।"

धारा 69 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 69 में, खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढा दिए जायं, अर्थात्—

"(जज) धारा 18—क और 19 के अधीन परिदत्त की जाने वाली प्रतियां और अनुवाद तैयार करने और उन्हें सही तथा विश्वस्त प्रतियां या अनुवाद घोषित करने की रीति का विनियमन करने वाले,

(ज ज ज) दस्तावेज लेखकों को लाइसेंस देने, ऐसे लाइसेंसों को निलम्बित या विखंडित करने, उन शर्तों, जिन पर और प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे लाइसेंस दिए जायेंगे जो निलम्बित या विखंडित किये जायेंगे, और सामान्यतया, रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किये जाने वाले दस्तावेजों को, ऐसे दस्तावेज लेखकों द्वारा प्रालेखन तथा लेखन से सम्बद्ध, सभी प्रयोजनों की व्यवस्था करने वाले,

---

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जुलाई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।)

(ज ज ज ज) अनुक्रमणिकाओं और धारा 51 के अधीन रखी गई पुस्तकों की प्रति नकल करने की रीति का विनियमन करने वाले ।

धारा 82 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 82 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाए, अर्थात्—

"(ख) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को धारा 18—क, धारा 19 या धारा 21 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी दस्तावेज की मिथ्या प्रति या अनुवाद वा किसी मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साक्ष्य परिदत्त करेगा या इस प्रकार मिथ्या घोषणा करेगा, अथवा"

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० जनरल (लेग०)—1971—1,809+50 (मे०) ।